Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

कन्हैयालाल **बनाम** **पृथ्वीराज वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **97 पंचायतीराज अधिनियम, 1994**

किस्म मुकदमा **निगरानी (पंचायत)** नं0 **049** सन् **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। हाजिर वकील निगराकार ने आदेशिका पर **NOT PRESS** अंकित कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रार्थी कार्यवाही नहीं चाहते है, अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिलवाया जावें। हमने पत्रावली का आद्यौपातं अवलोकन किया। हाजिर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस बाबत् कार्यवाही विड्रो का चिंतन–मनन किया। निगराकार स्वयं अपना प्रार्थना–पत्र नहीं चलना चाहते है। हस्तगत प्रकरण न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 028/2016 (नि.पं.) निर्णय दिनांक 09.07.2019 के संबंध में अन्तर्गत धारा 97 (02) के तहत निर्णय दिनांक 09.07.2019 के पुनर्विलोकन बाबत् प्रस्तुत किया गया है, एवं न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 09.07.2019 गुणावगुण पर निर्णित किया जाना प्रतिवेदित होता है, ऐसी स्थिति में पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र में कार्यवाही समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है, एवं प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विड्रोल में खारीज किया जाता है। तद्नुसार प्रार्थना–पत्र निर्णित किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। –ह0– (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 21.08.2024 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	